रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269389
CG-DL-E-16012026-269389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947
No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या **का.आ.१०३०(अ) तारीख २८ फरवरी २०२५** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी,द्वारा **महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३ एच के कि.मी.८+०००,कि.मी.३५+४८८ और ३+३०० पर तीन नये पुलो का निर्माण** अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३)के अधीन **का.आ.१०३०(अ) तारीख २८ फरवरी २०२५ मे "दैनिक आताच एक्सप्रेस छ.संभाजीनगर" और "दैनिक राजसम्राट जालना" दोनो को** तारीख **२५ नवंबर २०२५** में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है,जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करताहै. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३ एच के कि.मी.८+०००, कि.मी.३५+४८८ और ३+३०० पर तीन नये पुलो का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: जालना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जालना					
गांव का नाम: गोलापांगरी					
1	१२	सरकारी	औद्योगिक	0.16	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 12
2	१३	सरकारी	औद्योगिक	0.27	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 13
			Total	0.43	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/12/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

S.O. 225(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.1030(E) dated 28 February 2025**, published in

Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **Construction of three major bridges at Ch.8+000, Ch 35+488 and 3+300 of National Highway No. 753H the District of Jalna in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O.1030(E) dated 28 February 2025,** has been published in **"Dainik Attach Expres Chh. Sambhajinagar"** and **"Dainik Rajsamrat Jalna"** Both Dated **25 November 2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Construction of three major bridges at Ch.8+000, Ch 35+488 and 3+300 of National Highway No. 753H in the district Jalna in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: Jalna**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Jalna					
Village: Golapangri					
1	12	Government	Industrial	0.16	Maharashtra Industrial Development Corporation 12
2	13	Government	Industrial	0.27	Maharashtra Industrial Development Corporation 13
			Total	**0.43**	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/12/3D]
SAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.16 15:55:10 +05'30'